



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2025—कार्तिक 23, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्र. ई-5-1224-आयएस-लीव-5-एक.— श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी, भाप्रसे, (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को दिनांक 23 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2025 तक, तेरह दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

क्र. ई-1-116-2025-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी) नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 4-2-2025-EO (MM-II), (Pt.I) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के अनुक्रम में, श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत Deputy General Manager, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED), Bhopal (Madhya Pradesh Region) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-1-116-2025-5-एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2025 द्वारा श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं Deputy General Manager, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED), Bhopal (Madhya Pradesh Region) के पद पर भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), के कार्यमुक्त होने पर श्री अरविंद कुमार दुबे, भाप्रसे (2012), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र. ई-1-134-2025-5-एक.- नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सुमित कुमार पाण्डेय (2021), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री अंकित कुमार जैन (2023), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत	सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन	—

क्र. ई-1-145-2025-5-एक.- नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती मीनाक्षी सिंह (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन, भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

क्र.एफ-1-1-10-0019-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (पश्चिम क्षेत्र), इन्दौर का दिनांक 30 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2025 तक, 16 दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 नवम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (पश्चिम क्षेत्र), इन्दौर का चालू कार्य श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (पश्चिम क्षेत्र), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

क्र.ई-एफ-1-1-0227-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक, 05 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 18-21 अक्टूबर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई-एफ 1-1-1-0228-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री गौरव राजपूत, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा का चालू कार्य श्री हेमन्त चौहान, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव राजपूत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गौरव राजपूत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गौरव राजपूत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव राजपूत, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

क्र.ई.-एफ.-1-3-1-0001-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, एतद्वारा, श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 01 से 05 दिसम्बर 2025 तक, पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-एफ.-1-1-3-0055-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) रेन्ज को दिनांक 03 से 06 नवम्बर 2025 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 01-02 नवम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में जापान की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) रेन्ज का चालू कार्य श्री तरुण, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ए.एन.ओ. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) रेन्ज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-एफ.-1-1-0227-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 03 से 07 नवम्बर 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01-02 व 08-09 नवम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर.टी.आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-एफ.-1-1-1-0252-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (दूरसंचार) रेडियो मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 6 नवम्बर 2025 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश अवधि में जापान की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, (दूरसंचार) रेडियो मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) रेडियो मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-एफ.-1-1-1-0352-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन एतद्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (रेडियो) मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 3 से 6 नवम्बर 2025 तक चार दिवस अर्जित अवकाश अवधि में जापान की निजी विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (रेडियो) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.ई.-एफ.-1-1-1-0444-2025-ब-2-दो.-राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2025 तक तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01-02 नवम्बर व 06-07 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-ई.-एफ.-1-1-1-0454-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर, को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2025 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 एवं 16 नवम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार सहित अण्डमान की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया — स्वयं
2. श्रीमती सीमा सिंह भदौरिया — पत्नी
3. श्री आयुष सिंह भदौरिया — पुत्र
4. श्री श्रेयस सिंह भदौरिया — पुत्र

(2) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर. ए.पी.टी.सी., इन्दौर का चालू कार्य श्री मनोज श्रीवास्तव, उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.आर.टी. एस. इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक/सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नु भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

फा.क्र. 4358-इक्कीस-ब (एक) 2025.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस संबंध में जारी विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को, जिला मुख्यालय के रूप में कॉलम (3) में उल्लिखित स्थान के लिए, उसके कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों एवं उन अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से, यथास्थिति, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, सागर, दमोह, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली.
3.	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर	इंदौर	इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.

F.N.-4358-XXI-B(one)-2025.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and in supersession of all earlier department's Notification (s) issued in this regard, the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designates the District and Additional Sessions Judge(s) specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge (s) for respective areas specified in the corresponding entry in column (4) thereof for the place mentioned at column (3) as District Headquarter (s) to try the cases relating to the offences, specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or District and Sessions Judge of the concerned district, as the case may be namely :-

TABLE

S. No.	District and Additional Sessions Judge	Headquarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	III rd District & Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Narmadapuram, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar.
2.	III rd District & Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shahdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.
3.	III rd District & Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Agar-Malwa, Khandwa, Neemuch, Barwani, Alirajpur and Burhanpur.

फा.क्र. 4359-इक्कीस-ब (एक)-2025.- सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 (1982 का 66) की धारा 5 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय को, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य की क्षेत्रीय अधिकाृता के लिए, अधिनियम में उल्लेखित अपराधों तथा उससे संबंधित अन्य अपराधों के शीघ्र विचारण को उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करता है.

File No. 4359-XXI-B (one)-2025.- In exercise of the powers conferred by Section 5 B of the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act, 1992 (66 of 1982), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby designates Court of XXIVth District and Additional Sessions Judge, Bhopal as Special Court for the territorial jurisdiction of entire State of Madhya Pradesh, for the purpose of providing speedy trial of offences mentioned in the Act and the other offences related thereto.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

पंजी. क्र. 3571-2025-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील हटा, जिला दमोह में विभागीय आदेश दिनांक 11 सितम्बर 1979 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री वीरेन्द्र कुमार जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 3574-2025-इक्कीस-ब (दो).- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शांतिलाल मालवीय एवं विभागीय आदेश दिनांक 26 जून 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जमीरउद्दीन फारुखी का निधन होने के कारण उक्त दोनों नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 3645-2025-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम में विभागीय आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धनपाल पटेल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2025

संशोधित अधिसूचना

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-पार्वती-2025-26-952.- माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में Dollex Agrotech Ltd. द्वारा दायर याचिका क्रमांक WP-31045/2025 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य दिनांक 7 नवम्बर 2025 को खारिज होने के परिपालन में, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में, कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा पत्र क्रमांक 2215, दिनांक 25 जुलाई 2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15, 16 एवं 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, संतोष कुमार वर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2025-26 हेतु शककर कारखाना पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर प्रायवेट लिमिटेड, सांखनी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 850, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 में निम्नानुसार जिला/तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को सम्मिलित कर रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दतिया	इंदरगढ़	सेवड़ा	जुझारपुर	28	70.36
2	दतिया	इंदरगढ़	सेवड़ा	भदौना	26	135.20
योग तहसील इंदरगढ़						205.56

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

संतोष कुमार वर्मा, गन्ना आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

क्र.-4816-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2025.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-दीप, तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 अगस्त, 2024 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 4026-कार्य-भू-अर्जन-2025-26 छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र.-4817-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2025.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-बीजागोरा, तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 अगस्त, 2024 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 4030-कार्य-भू-अर्जन-2025-26 छिन्दवाड़ा दिनांक 3 सितम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्र.-4818-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2025.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम-कोहट रैयत, तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 अगस्त, 2024 को किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 4028-कार्य-भू-अर्जन-2025-26 छिन्दवाड़ा दिनांक 3 सितम्बर 2025 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 (7) उपधारा (1) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

क्रमांक-4928-भू-अर्जन-2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 नवम्बर 2025

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न इससे अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन-III, डी विंग, प्रथम तल, भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक ए-31-07-2020-सत्ताईस-एक, भोपाल, दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत” सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे. अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-चकरपाट प.ह.न. 36, ब.नं.-20, रा.नि.मं.-हरई	रकबा-01.432 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा	शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस-2) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-4929-भू-अर्जन-2025.-चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन-III, डी विंग, प्रथम तल, भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक ए-31-07-2020-सत्ताईस-एक, भोपाल, दिनांक 06 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत” सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम—चिखला प.ह.न. 36, ब.नं.—20, रा.नि.मं.—हरई	रकबा—01.777 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां	भू-अर्जन अधिकारी तहसील—अमरवाड़ा जिला—छिन्दवाड़ा	शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस-2) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-4930-भू-अर्जन-2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 नवम्बर 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	छिन्दवाड़ा
(ख)	तहसील	अमरवाड़ा
(ग)	नगर/ग्राम	ग्राम- लहगड्डुआ, प.ह.नं.-07, ब.नं.-51, रा.नि.मं. अमरवाड़ा.
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा 01.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
798 / 3 / 1	0.102
798 / 3 / 2	0.255
799 / 1	0.044
799 / 5	0.096
799 / 2	0.132
799 / 3	0.060
801 / 2	0.312
801 / 3	0.122

कुल रकबा-01.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस. 1) अंतर्गत हर्द बांध के पहुंच मार्ग एवं डीसी से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर, संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्रमांक-4931-भू-अर्जन-2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-		
(क)	जिला	छिन्दवाड़ा
(ख)	तहसील	अमरवाड़ा
(ग)	नगर/ग्राम	ग्राम- चनेरी, प.ह.नं.-17, ब.नं.-79, रा.नि.मं. अमरवाड़ा.
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा 0.915 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	531/5, 532/5, 534	0.014
	532/2	0.135
	529/7, 532/8	0.004
	530/2	0.080
	531/2	0.002
	531/3	0.104
	526/2, 527, 528/4, 531/4	0.288
	528/2	0.038
	506/1/2	0.232
	507	0.018

कुल रकबा-0.915 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस. 1) अंतर्गत हर्द बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर, संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरेंद्र नारायण, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

शहडोल, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0001-अ-82-2024-25-5334.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	भमरहा प्रथम	2.171	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा म.प्र.	गोरखपुर भमरहा मार्ग के किमी 1/2 में झापर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा, मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर कार्यालय (भू-अर्जन) शाखा में देखा जा सकता है.

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25-5335.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	लोढी	0.175	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा म.प्र.	नवागांव से भठिंगवा मार्ग में चूंदी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा, मध्यप्रदेश एवं कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) शाखा, जिला शहडोल (म.प्र.) में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0001-अ-82-2024-25-5366.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम				धारा 12	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	कल्लेह	0.406	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा म.प्र.	कल्लेह बनिया तालाब मार्ग में अरई नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा, मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर कार्यालय (भू-अर्जन) शाखा, जिला शहडोल (म.प्र.) में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

केदार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2024-25-पत्र क्र. 1875-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम, की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे.में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कल्पा	0.1410	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत मुख्य नहर (पूरक प्रस्ताव) के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1876-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के	सार्वजनिक
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में) लगभग	लिए प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पवइया	1.1154	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत मुख्य नहर (पूरक प्रस्ताव) के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

क्र.-321-भू-अर्जन-2025.- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद के पत्र क्रमांक 99-कार्य-भी. बिं.मा.उ.सिं.प-2025, सनावद, दिनांक 15.01.2025 से “भीकनगांव-बिंजलवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-05 पर आने जाने के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु” अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-था. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं विहित प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ :-

भूमि का वर्णन					सार्वजनिक प्रयोजन
क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे.मे.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भीकनगांव	बडिया	108	0.427	“भीकनगांव-बिंजलवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-05 पर आने जाने के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु”

नोट :-

- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-322-भू-अर्जन-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती हैं।

प्रस्तावित “भीकनगांव-बिंजलवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-05 पर आने जाने के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु” की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम, के अध्याय-2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गई है जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				धार 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बडिया	0.427	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 सनावद	“भीकनगांव-बिंजलवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-05 पर आने जाने के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु”

अनुसूची (2)

“भीकनगांव-बिंजलवाडा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-05 पर आने जाने के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु” ग्राम-बडिया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
80/4, 80/3, 241, 80/2/1, 77/1/5, 77/2/2, 77/2/3, 76/3/2, 76/3/1	0.427

नोट: भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव, जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

मण्डला, दिनांक 7 नवम्बर 2025

ज्ञाप क्र.-136-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	चकदेही रैयत, प.ह.नं. 64	498.47	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-137-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	कापा माल प.ह.नं. 63	245.21	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-138-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	पंडरीतलाई प.ह.नं. 62	2.69	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-139-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	मुरलापानी प.ह.नं. 61	0.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-140-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	सिवनी माल प.ह.नं. 67	144.29	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-141-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	दरगढ़ प.ह.नं. 60	21.77	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-142-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	फड़की माल प.ह.नं. 66	19.793	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है — बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-143-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	बसगढ़ी माल प.ह.नं. 42	8.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है — बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-144-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	नैझर प.ह.नं. 62	0.04	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-145-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	धनगांव प.ह.नं. 05	171.44	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-146-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	ओढारी प.ह.नं. 06	242.78	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-147-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	उमरडीह प.ह.नं. 06	116.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-148-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	रमपुरी प.ह.नं. 05	145.03	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-149-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बिलगाढ़ा रैयत प.ह.नं. 02	43.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-150-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	चुभावल प.ह.नं. 07	2.51	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है — बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-151-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	दुपटा प.ह.नं. 05	210.67	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है — बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज्ञाप क्र.-152-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बडझर प.ह.नं. 06	158.87	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandlaa.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 नवम्बर 2025

क्र.-2509-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन :-	
(क)	जिला	— सीधी
(ख)	तहसील	— गोपद बनास
(ग)	ग्राम	— टेढवाटोला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	— मडवा
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	— रकबा 0.1200 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	27 / 1	0.1000	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण),	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई
2	27 / 2		पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर	बडी रेल लाईन परियोजना
3	32	0.0200		निर्माण हेतु.
योग :		0.1200		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-2511-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन :-	
(क)	जिला	— सीधी
(ख)	तहसील	— गोपद बनास
(ग)	ग्राम	— नौढिया
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	— नौढिया
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	— रकबा 0.1950 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	834 / 4 / 1 / 1	0.0090	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई
2	836 / 1 / 1 / 21	0.0040	पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर	बडी रेल लाईन परियोजना
3	836 / 1 / 1 / 20	0.0030		निर्माण हेतु.
4	836 / 1 / 1 / 10	0.0170		
5	836 / 1 / 1 / 15	0.0110		
6	836 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	0.0460		
7	836 / 1 / 1 / 25	0.0170		
8	840 / 1 / 1 / 1 / 1	0.0290		
9	840 / 1 / 2 / 1 / 1	0.0290		
10	840 / 1 / 3 / 1 / 1	0.0150		
11	840 / 1 / 4 / 1 / 1	0.0150		
योग :		0.1950		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-2513-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम, के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन	
(क)	जिला	— सीधी
(ख)	तहसील	— गोपद बनास
(ग)	ग्राम	— मधुरी कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	— जमोडीखुर्द
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	— रकबा 0.5270 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34/1/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई
2	34/1/2		पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर	रेल्वे लाईन हेतु अतिरिक्त
3	34/1/3			रकबा हेतु.
4	34/1/4/1	0.0600		
5	34/1/4/2			
6	34/1/4/3			
7	34/1/4/4			
8	164/1/1/1			
9	164/1/1/2	0.2680		
10	164/1/1/3			
11	164/2/2/1	0.0760		
12	164/2/1/3	0.0760		
13	164/3/1/1	0.0310		
14	299/1/3/1	0.0080		
15	299/1/3/2	0.0080		
	कुल योग :-	0.5270		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-2515-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन		
(क)	जिला	—	सीधी
(ख)	तहसील	—	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	—	विसैधाटोला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	—	जोगीपुर दक्षिण
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	—	रकबा 0.0112 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	282/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल्वे लाईन हेतु अतिरिक्त रकबा हेतु.
	282/2	0.0112		
	282/3			
	282/4			
	कुल योग :-	0.0112		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 1833-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - बधाव उवारी

(घ) क्षेत्रफल- 1.0980 हे०

क्र.	मूखामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1	2	3	4	5
1	वीरभान सिंह पिता रुद्रप्रताप सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	254/1	1.2020	0.0580
2	मोहन सिंह पिता बंशवहादुर सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना गणेश सिंह पिता बंशवहादुर सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	262/1	0.3350	0.0250
3	गणेश सिंह पिता बंशवहादुर सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	263	1.1390	0.2800
4	दिनेश प्रताप सिंह पिता भानू प्रताप सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह पिता भानू प्रताप सिंह, विपुला सिंह पिता भानू प्रताप सिंह पता नागौद सतना भूमि स्वामी	274/1/1	0.1770	0.0540
5	जगमोहन सिंह पिता चैन सिंह पता नागौद सतना भूमि स्वामी	274/1/2	0.1780	0.0530
6	राजेश सिंह पिता वीरभान सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	274/2	0.1050	0.0210
7	गुलाब सिंह पिता शंकर सिंह पंजाब सिंह राजमणी सिंह रामदुलारी सियादुलारी पिता सरदार सिंह रामभुवन सिंह पिता माधव सिंह वीरभान सिंह पिता रुद्र प्रताप सिंह सुखेन्द्र सिंह पिता प्रकाश सिंह कृणराज सिंह पंचराज सिंह अर्जुन सिंह मीना सिंह पिता शीतल सिंह चैन सिंह भानू सिंह पिता गजराज सिंह मु. राजकुमारी सिंह बेवा कृपाल सिंह कुंवरबहादुर सिंह प्रमोद सिंह लल्लन सिंह सन्तोष सिंह पिता कृपाल सिंह पता सा. बधाव	274/472/1	0.1720	0.0290
8	राजेश सिंह पिता वीरभान सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	274/472/2	0.0680	0.0250
9	मुन्नीबाई पत्नी सोतीलाल लोधी मायानंद किशोर पिता सोतीलाल लोधी पता गंगवरिया नागौद सतना भूमि स्वामी	275/1	0.7840	0.1800
10	मु. फुलियाबाई बेवा मिठइयां पसेरीलाल बहोरीलाल खिलाडीलाल सियालाल कमलादेवी बिच्चू चैनदेवी पिता मिठइयां चमार जाति पता सा. देह	275/2	0.8260	0.1800
11	वीरभान सिंह पिता रुद्रप्रताप सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	276	0.4610	0.0110
12	मुन्नीबाई पत्नी सोतीलाल लोधी मायानंद किशोर पिता सोतीलाल लोधी पता गंगवरिया नागौद सतना भूमि स्वामी	378/2	0.0310	0.0160
13	दिनेश प्रताप सिंह पिता भानू प्रताप सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह पिता भानू प्रताप सिंह, विपुला सिंह पिता भानू प्रताप सिंह पता नागौद सतना भूमि स्वामी	383	0.3870	0.0100
14	रमेश प्रताप सिंह पिता भगवत सिंह पता बधाव उवारी नागौद सतना भूमि स्वामी	384/1	0.4520	0.0750
15	शिवबहादुर सिंह पिता केशवप्रताप सिंह पता नागौद सतना भूमि स्वामी	384/473/1/1	0.1300	0.0810
	योग-			1.0980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला-सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर शुकुलगांवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1834-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - बण्डी

(घ) क्षेत्रफल- 2.4990 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	4	5	6	7
1	शिवराम पिता गौरीदत्त बृजगोपाल राजाभइया शिवकैलास पिता गौरीदत्त ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	447	0.5870	0.0360	
2	रामस्वरूप पिता गया प्रसाद ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	446	1.1320	0.1650	
3	रामहेत, रमाशंकर, ददू प्रसाद पिता शिव प्रसाद ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	444	0.5180	0.1980	
4	रामभरोसे, कालीचरण, राजधर, कमलेश प्रसाद पिता हरप्रसाद ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	476/1	0.6800	0.0540	
5	रामबिहारी पिता कृष्णदत्त ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	476/2/1	0.1700	0.2290	
6	गोविन्द प्रसाद पिता रामबालक नाई पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	492/1	0.0400	0.0070	
7	गोविन्द प्रसाद पिता रामबालक नाई पता बण्डी नागौद सतना	493/1/1/2	0.2220	0.1620	
8	गोविन्द प्रसाद पिता रामबालक नाई पता बण्डी नागौद सतना	494/2	0.0880	0.0090	
9	जगप्रसाद पिता रुपना काछी पता बण्डी भूमिस्वामी	497/1	0.6480	0.0610	
10	अरुण कुमार पिता रामलाल पाण्डेय पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	566/1/2	0.3960	0.0450	
11	अनिल कुमार पिता रामलाल पाण्डेय साकिन बण्डी नागौद सतना	566/1/1	0.3950	0.0450	
12	मोहनलाल पिता बाला प्रसाद	561/2/2	0.0800	0.0180	
13	भोलदानी पिता विश्वनाथ कुशवाहा पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	561/1/2	0.2510	0.0900	
14	रामस्वरूप पिता हरीलाल काछी साकिन बण्डी नागौद सतना	564/1	0.0440	0.0040	
15	राधेप्रसाद पिता हीरालाल साकिन बण्डी नागौद सतना	564/2	0.0400	0.0030	
16	बालाप्रसाद, रामलाल पिता राजकिशोर ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना	573/1	0.5990	0.1400	
17	ममता पत्नी मुचकुन्द प्रसाद पांडेय विनीत कुमार, सुनीत, आशीष पिता मुचकुन्द प्रसाद पांडेय पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	573/2	0.5990	0.1130	
18	रामहेत, रमाशंकर, ददू प्रसाद पिता शिवप्रसाद ब्रा. पता बण्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	573/3	1.0560	0.1830	
19	बाला प्रसाद, रामलाल पिता राज किशोर ब्रा. पता नागौद सतना	574/1	0.0080	0.0050	

20	ममता पत्नी मुचकुन्द प्रसाद पांडेय विनीत कुमार, सुनीत, आशीष पिता मुचकुन्द प्रसाद पांडेय पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	574/2	0.0080	0.0050	
21	माया पिता शम्भू काछी पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	576/1	0.0100	0.0070	
22	माया पिता शम्भू काछी पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	577/1	0.0730	0.0360	
23	झुरी पिता शम्भू काछी पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	577/2	0.0730	0.0360	
24	मरी पिता शम्भू काछी पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	577/3	0.0730	0.0180	
25	संजय प्रताप पिता संतप्रताप कुशवाहा पता बन्डी भूमिस्वामी	558/1/2	0.1520	0.0360	
26	अभयराज पिता संतप्रताप कुशवाहा पता बन्डी भूमिस्वामी	558/1/3	0.1520	0.0720	
27	राजेन्द्र प्रसाद पिता रामाधार कुशवाहा पता बन्डी भूमिस्वामी	558/2	0.3030	0.1020	
28	मोहनलाल पिता सरजू कुशवाहा पता बन्डी भूमिस्वामी	558/3	0.3030	0.0100	
29	राजेन्द्र प्रसाद रामेश प्रसाद, विनीत प्रसाद पिता ज्योति प्रसाद पता मझियारी	695	0.1540	0.0080	
30	राजेन्द्र प्रसाद रामेश प्रसाद, विनीत प्रसाद पिता ज्योति प्रसाद पता मझियारी	696/1/2	1.1160	0.1620	
31	सन्तोष पिता रामरूप ब्रा. पता सा. द्वारीकला	696/1/1/1	0.1810	0.0160	
32	सुरेश चंद्र पिता श्रीनिवास ब्रा. साकिन पिपरी नागौद सतना	676/1	0.1820	0.0480	
33	संजय कुमार पिता श्रीनिवास ब्रा.पता पिपरी नागौद सतना	676/2	0.0610	0.0480	
34	केदारनाथ पिता रमाकान्त ब्रा.पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	678/1/2	0.0170	0.1050	मौके में समस्त खातेदार एक ही खेत बना कर खेती करते हैं। मौके में बटवारा नहीं है।
35	लोकनाथ पिता रमाकान्त ब्रा. पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	678/1/3	0.0170		
36	उमेश पिता रमाकान्त ब्रा. पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	678/1/4	0.0170		
37	उमाकान्त रमाकान्त ब्रा. पता बन्डी नागौद सतना भूमिस्वामी	678/1/5	0.0170		
38	सन्तोष पिता रामरूप ब्रा. पता सा. द्वारीकला	685/1/1	0.0930	0.0550	
39	अरुण कुमार पिता रामरूप ब्रा. पता सा. द्वारीकला	685/1/2/3	0.0930	0.0550	
40	राजेन्द्र प्रसाद रामेश प्रसाद, विनीत प्रसाद पिता ज्योति प्रसाद पता मझियारी	685/2	0.0810	0.0520	
41	जगप्रसाद पिता रुपना काछी पता बन्डी भूमिस्वामी	497/1	0.6480	0.0610	
	योग			2.4990	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1835-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - इटौरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 1.2830 हे०

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	पूरनलाल पिता मुन्नालाल लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	107/1/1	0.4030	0.0390
2	लक्ष्मी प्रसाद पिता मुन्नालाल लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	107/1/2	0.4020	0.0390
3	सुखिया पिता रामसिपाही लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	107/2/1/2	0.4700	0.0510
4	रमेश पिता विप्र प्रसाद ब्रा जाति ब्रा पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	107/2/2/1	0.4080	0.0570
5	बेलहानाथ स्वामी संर रविशरण पिता कमला प्रसाद ब्रा पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	107/2/2/2	0.4080	0.0510
6	इल्ली लोधी पत्नी रामऔतार लोधी, महरनिया लोधी रामऔतार लोधी, राजरानी लोधी पिता रामऔतार लोधी, सवा लोधी पिता रामऔतार, विमला लोधी पिता रामऔतार लोधी, राजभान लोधी पिता रामऔतार लोधी, भरत लोधी पिता रामऔतार लोधी, दरबारीलाल लोधी पिता रामऔतार लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	107/3/2/2	0.2090	0.0450
7	गोली बेवा काशीदीन लोधी, मुंशी लोधी पिता काशी दीन लोधी, हिसाबी पिता काशीदीन लोधी, यादवेंद्र पिता काशीदीन लोधी, बिटोल पुत्री काशीदीन लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	107/3/1/3	0.1670	0.0580
8	नन्द लाल पिता मोहनलाल जाति लोधी लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	107/3/2/4	0.1880	0.0580
9	सुकवरिया पत्नी कन्धइया लोधी, कन्धेदी लाल पिता कन्धइया लोधी, रामनरेश पिता कन्धइया लोधी, वध्यावती पिता कन्धइया लोधी, चन्दाबाई पिता कन्धइया लोधी, पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	107/3/2/1	0.2090	0.0270
10	प्रकाश पिता प्रभु लोधी पता गगंवरिया नागौद सतना भूमिस्वामी	109/1/1	0.1150	0.0420
11	शंकर, चुनवादी चन्द्रकली नंदबाई पिता भोला ब्रा मु बुट्टन बाई बेवा बाबूलाल लोधी ब्रा साखीगोपाल रामभइया रमेश गनेश एवं राजाबाई पिता बाबूलाल लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	36	0.0940	0.0100
12	तीरथ प्रसाद पिता रामसजीवन तिवारी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना	35/1/1	0.4600	0.0350

13	चंद्राकान्ता तिवारी पिता जगदीश प्रसाद तिवारी ममता देवी माया देवी रेखा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद तिवारी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमि स्वामी	35/1/2	0.3660	0.0190
14	मनोज कुमार पिता रामसजीवन ब्रा पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमि स्वामी	35/2/1	0.2090	0.0150
15	राजेश कुमार पिता मनसुखलाल लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमि स्वामी	35/2/2	0.2090	0.0250
16	राजेश कुमार पिता मनसुखलाल लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	35/2/3	0.3660	0.0500
17	राजाबाई बेवा बालकृष्ण पता गगंवरिया नागौद सतना भूमिस्वामी	34/1	1.0970	0.1350
18	रामफल लोधी पिता गया प्रसाद लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	32	0.2720	0.0140
19	अमरजीत पिता रामफल लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	31/1	0.1250	0.0180
20	रामफल लोधी पिता गया प्रसाद लोधी पता इटौरा खुर्द नागौद सतना भूमिस्वामी	31/2	1.6830	0.1700
21	रामलगन लोधी पिता तेजभान लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमिस्वामी	29/1/1	0.2090	0.0380
22	हरिराम लोधी पिता केदार प्रसाद लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमिस्वामी	29/1/2	0.2090	0.0380
23	रणभान लोधी पिता नारद प्रसाद लोधी, सत्यभान लोधी पिता नारद लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमिस्वामी	29/1/3	0.8360	0.1460
24	रोशनलाल पुत्र कुदुआ लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमिस्वामी	29/2	1.6720	0.0930
25	हरिराम लोधी पिता केदार प्रसाद लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमिस्वामी	28/2	0.0310	0.0100
	योग			1.2830

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1836-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - बरकछी

(घ) क्षेत्रफल- 2.1850 हे०

क.	भूमिस्वामी का नाम /पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	धरमराजकुमारी पत्नी अर्जुन सिंह उर्मिला सिंह निर्मला सिंह, सरला सिंह, रागनी सिंह पुत्री अर्जुनसिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	122	0.0840	0.0250	
2	धरमराजकुमारी पत्नी अर्जुन सिंह उर्मिला सिंह निर्मला सिंह, सरला सिंह, रागनी सिंह पुत्री अर्जुनसिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	123	0.4600	0.0080	
3	संजीव सिंह पिता रमेश सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	67	0.3450	0.0530	
4	नारैन्द्र सिंह पिता मित्रा वरुण सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	60/1	0.0420	0.0420	
5	सुरेन्द्र सिंह पिता मित्रा वरुण सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	60/2	0.0420	0.0420	
6	नारैन्द्र सिंह पिता मित्रा वरुण सिंह पता बरकछी नागौद सतना	59/1	0.7110	0.1580	विवादित
7	सुरेन्द्र सिंह पिता मित्रा वरुण सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	59/2	0.7100		
8	धरमराजकुमारी पत्नी अर्जुन सिंह उर्मिला सिंह निर्मला सिंह रागनी सिंह पुत्री अर्जुनसिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	58	0.0940	0.0050	
9	धरमराजकुमारी पत्नी अर्जुन सिंह उर्मिला सिंह निर्मला सिंह रागनी सिंह पुत्री अर्जुनसिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	57	1.8080	0.1230	
10	रामबहादुर सिंह पिता रामसुजान सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	55/1	0.1050	0.0040	
11	रामबहादुर सिंह पिता रामसुजान सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	56/1	1.0450	0.0040	
12	धिरेश सिंह पिता कृष्णा बहादुर सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	398/1	1.4370	0.0650	
13	धिरेश सिंह पिता कृष्णा बहादुर सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	398/2	1.4370	0.0650	
14	धिरेश सिंह पिता कृष्णा बहादुर सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	397/1	0.1000	0.0420	
15	धिरेश सिंह पिता कृष्णा बहादुर सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	397/2	0.0990	0.0420	
16	रामबहादुर सिंह पिता रामसुजान सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	399/1	0.1570	0.1350	
17	रामबहादुर सिंह पिता रामसुजान सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	400/1	2.0590	0.1480	
18	जमादार पिता समयलाल लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	410/1/1/1	0.4280	0.2250	विवादित
19	प्रेमलाल पिता समयलाल लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	410/1/1/2	0.4180		
20	कालीचरण पिता बैकुण्ठ लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	410/1/2/1	0.3810		
21	रामवती बेवा रामनिवास लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	410/1/2/2	0.3820		
22	केशरी बलराम रावेन्द्र अमित कुमार पिता रामदास लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	410/1/3	0.8460		
23	उषा सिंह पत्नी राजेश सिंह पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	410/2	0.8460		

24	प्रेमलाल पिता समयलाल लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	411/1/1	0.0310	0.1250	विवादित
25	कालीचरण पिता बैकुण्ठ लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	411/1/2/1	0.0600		
26	रामवती बेवा रामनिवास लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	411/1/2/2	0.0600		
27	केशरी बलराम रावेन्द्र अमित कुमार पिता रामदास लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	411/1/3	0.0310		
28	रामऔतार पिता ठाकुरदीन लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	411/2	0.0260	0.0380	
29	रामप्रसाद पिता वेहीलाल लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	409/1	0.2610		
30	केशरी बलराम रावेन्द्र अमित कुमार पिता रामदास लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	409/2	0.8780	0.0650	
31	केशरी बलराम रावेन्द्र अमित कुमार पिता रामदास लोधी पता चुरहाई नागौद सतना भूमि स्वामी	409/577	0.5750	0.0160	
32	कल्ली बेवा वंशरूप लोधी पता नागौद सतना भूमि स्वामी	408/1/1	0.4810	0.0450	
33	आदर्श लोधी नाबालिग पिता उदय लोधी संरक्षक उदय लोधी पता नागौद सतना	408/1/2	0.4700	0.0450	
34	रामसुरेश पिता सखालाल लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	408/2/1	0.2660	0.0080	
35	राजकुमार पिता हीरा लाल लोधी पता नागौद सतना भूमि स्वामी	408/3/1	0.2660	0.0340	
36	मनोज कुमार पिता हीरा लाल लोधी पता नागौद सतना भूमि स्वामी	408/3/2	0.2670	0.0340	
37	गीताबाई पत्नी मनोज कुमार लोधी पता चुरहाई सतना भूमि स्वामी	415/1	0.4590	0.0680	
38	पूनम सिंह परिहार पत्नी जय सिंह परिहार पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	415/4	0.4390	0.0620	
39	अमिलाष कुमार लोधी पंकज कुमार लोधी पिता रामपाल नाबालिक वली सरपरस्त पिता रामपाल लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना	530/1	0.0630	0.0190	
40	मु. कस्तूरीबाई बेवा रामचरण, मोतीलाल, अर्जुन पिता रामचरण लोधी पता सा. देह	530/3	0.3870	0.0280	
41	शंकरराज लोधी पिता संतोष प्रसाद लोधी पता चुरहाई सतना भूमि स्वामी	530/4	0.2610	0.0780	
42	केशरीनंदन पिता रामदास लोधी पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	529	0.5850	0.0460	
43	केशरीनंदन पिता रामदास लोधी पता बरकछी नागौद सतना भूमि स्वामी	528	0.0420	0.0060	
44	शिवप्रसाद पिता भगवानशरण लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना	517/2/1	0.3600	0.0300	
45	जगलाल पिता घुरा धोबी पता सेमरवारा नागौद सतना	522	0.3970	0.0520	
46	मु. छोहगिरिया बेवा रामकुमार, शान्ती, गीता, द्रोपति पुत्री रामकुमार अनुज कुमार पिता रामकुमार लोधी सा. चुरहाई	525/1/1	0.3020	0.0550	
47	रजनी राजाबाई पुत्री जगन्नाथ, कलावती पत्नी दादूलाल अनामिका पिता दादूलाल लोधी पता नागौद सतना	525/2	0.2720	0.0570	
48	रामकुमार पिता रामजियावन लोधी पता बरकछी नागौद सतना	519/2	0.3550	0.0820	
49	राजकुमार पिता हीरालाल लोधी पता नागौद सतना	407/2/1	0.0050	0.0040	
50	रामसुरेश पिता सखालाल लोधी पता सेमरवारा नागौद सतना भूमि स्वामी	407/1/1	0.0260	0.0020	
	योग			2.1850	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक—1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर बरकछी सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1877-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की; अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - आमा

(घ) क्षेत्रफल- 8.4610 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1	2	3	4	5
1	मु. विद्या बेवा दददीराम हरीशंकर, रमाशंकर, रविशंकर, दयाशंकर पिता दददीराम पता आमा नागौद सतना भूमि स्वामी	679/1	0.5670	0.1700
2	किशोरीलाल पिता ददोला ब्रा. पता देवरी नागौद सतना भूमि	660/2/1	0.0770	0.0160
3	गणेश प्रसाद पिता ददोला ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	660/2/2	0.0770	0.0160
4	लीलावती पत्नी गोरेलाल ब्रा. पता आमा नागौद सतना भूमिस्वामी	680/1/1	0.3570	0.0090
5	कोमलबाई बबलीबाई ममता शकुन्तला पिता गयादीन रजक मनोज पिता गयादीन रजक रामरती पत्नी गयादीन रजक मीना पत्नी हरीराम अभिषेक, अविनीश, पूजा पिता हरीराम रजक पता आमा नागौद सतना भूमि स्वामी	683/2	0.1740	0.0090
6	जमुना पिता गोपलिया, बृजेश, राकेश, मुकेश, सुरेश पिता शम्भू कल्ली बेवा शम्भू बेवा नत्थू पप्पी पुत्री नत्थू धोबी पता सा. देह	683/1/3	0.0850	0.0500
7	सिपाही पिता विशाली धोबी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	683/1/2	0.0850	0.0360
8	बन्दीलाल पिता झुरिया रजक पता आमा नागौद सतना	683/1/1/1	0.0550	0.0090
9	श्यामलाल पिता झुरिया रजक पता आमा नागौद सतना	683/1/1/2	0.0550	0.0090
10	जवाहर पिता झुरिया रजक पता आमा नागौद सतना	683/1/1/3	0.0560	0.0090
11	केशकली पत्नी ददनिया दयाराम पिता मंगलिया, मैकी, गमना पुत्री राधे पिता छैला, लवकुश पिता रामकृपाल कोटवार पुरुषोत्तम दारा सिंह बन्दी कल्ली पिता रामदीन झल्ली पिता रामनाथ बिहारीलाल सुन्दरलाल पिता रामनाथ कोटवार पता सा. देह भूमिस्वामी	699	0.1010	0.0160
12	गंगा प्रसाद पिता कृष्णदत्ता ब्रा. पता आमा नागौद सतना	761/1/1/1	0.2360	0.1250
13	शुभम पिता अनिल कुमार पयासी नाबा. सर पिता पता आमा नागौद सतना	761/1/1/2	0.2350	0.0300
14	तिलकेश्वर प्रसाद पिता कृष्णदत्त ब्रा. पता आमा नागौद सतना	761/1/3	0.4370	0.1150
15	जमुना प्रसाद पिता कृष्णदत्त ब्रा. पता आमा नागौद सतना	761/1/2	0.1290	0.0650
16	अरुण कुमार पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता आमा नागौद सतना	763/1	0.1500	0.1280
17	अरुण कुमार पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता आमा नागौद सतना	763/2	0.0490	
18	लालमनी पिता नरवदा लोधी पता आमा नागौद सतना	756/1/1	0.0320	0.0180
19	रावेन्द्र, राजकुमार पिता राममधार लोधी पता आमा नागौद सतना	756/2	0.0970	0.0180
20	अशोक कुमार पिता गंगा प्रसाद ब्रा. पता आमा नागौद सतना	927/3	0.1700	0.0020

21	भूरी पति ललवा लोधी इन्द्रपाल, रामभगत, जुगुलकिशोर, राजाराम पिता ललवा लोधी पता आमा नागौद सतना	923/1/1	0.6100	0.0480
22	शिवकुमार पिता रामसेवक ब्रा. पता आमा नागौद सतना	921/1	0.2990	0.0800
23	शिवकुमार पिता रामसेवक ब्रा. पता आमा नागौद सतना	921/2	0.2990	0.0890
24	विजय कुमार पिता भगवानदास लोधी पता आमा नागौद सतना	1049	0.0650	0.0260
25	लल्लाबाई पति जगलाल लोधी प्रमोद लक्ष्मण नातीलाल पिता जगलाल राममैया रेखा पता आमा नागौद सतना	1050	0.1250	0.0320
26	लल्लाबाई पति जगलाल लोधी प्रमोद लक्ष्मण नातीलाल पिता जगलाल राममैया रेखा पता आमा नागौद सतना	1051	0.0360	0.0320
27	मु. सुरनिया पति परमलाल लोधी सावित्री पिता परमलाल लोधी सुरेश, तेजमान पिता परमलाल लोधी पता आमा नागौद सतना	1052	0.2510	0.0460
28	मु. सुरनिया पति परमलाल लोधी सावित्री पिता परमलाल लोधी सुरेश, तेजमान पिता परमलाल लोधी पता आमा नागौद सतना	1053	0.0120	0.0460
29	रामप्रताप पिता शिवनारायण लोधी पता आमा नागौद सतना	1056/2/1	0.0770	0.0420
30	मनीष पिता इन्द्रजीत लोधी शिवमकुमार पिता बिटाइलाल लोधी पता आमा नागौद सतना	1056/2/2	0.0770	0.0250
31	भूरी पति ललवा लोधी इन्द्रपाल, रामभगत, जुगुलकिशोर, राजाराम पिता ललवा लोधी पता आमा नागौद सतना	1056/1/1	0.1540	0.0560
32	गणेश प्रसाद पिता ददोला ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1121	0.0410	0.0190
33	गणेश प्रसाद पिता ददोला ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1122	0.0240	0.0140
34	गणेश प्रसाद पिता ददोला ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1123	0.0450	0.0180
35	नोनेलाल पिता लक्ष्मण प्रसाद ब्रा. पता आमा नागौद सतना	1119/3	0.1420	0.0250
36	रामस्वरूप पिता जमुना देवरी नागौद सतना	1124/2	0.1420	0.0250
37	अनिल, मुकेश पिता नारायणदास ब्रा. पता देवरी नागौद मु. बडीबाई पति नारायणदास ब्रा. पता आमा नागौद सतना	1118	0.1540	0.1120
38	अनिल, मुकेश पिता नारायणदास ब्रा. पता देवरी नागौद मु. बडीबाई पति नारायणदास ब्रा. पता आमा नागौद सतना	1119/1/2	0.0490	0.0270
39	रमेश प्रसाद, शांति, मीना साधना, अवधेश प्रसाद, हरीशंकर, पंचमलाल पिता द्वारका ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1119/1/1	0.1530	0.0270
40	रमेश प्रसाद, शांति, मीना साधना, अवधेश प्रसाद, हरीशंकर, पंचमलाल पिता द्वारका ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1119/5/1	0.0600	0.0510
41	रमेश प्रसाद, शांति, मीना साधना, अवधेश प्रसाद, हरीशंकर, पंचमलाल पिता द्वारका ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1108/6	0.1620	0.0720
42	मुन्नाबाई पिता सुखनंदी लोधी पता आमा नागौद सतना	1109	0.0970	0.0570
43	जगलाल हीरालाल हजारीलाल पिता बल्लू, रनिया, लीला छोटी, गैदा पिता बल्लू भगवनिया बेवा बल्लू लोधी ददिया बेवा बाबू लोधी सुदर्शन, सुखनंदी लोला पिता बाबू जीवनलाल पिता शिवलाल जीवन लाल हरीशंकर तुलसा भरतलाल पिता शिवलाल नागेन्द्र रामबाई माता विद्या पता आमा नागौद सतना	1108/1/1	0.5220	0.1560
44	सत्यवती पत्नी हीरामन व्यास पता देवरी नागौद सतना	754/2	0.4900	0.2160
45	मदनमोहन पिता भवानीदीन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	952	0.5340	0.1800
46	राजाबाई पुत्री श्याम बिहारी ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	956/2	0.1780	0.0040
47	बृजकिशोर पिता राजकुमार ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	956/1	0.4050	0.1150
48	अर्जुन पिता बाबूलाल ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	971/1	0.1290	0.0790

49	अर्जुन पिता बाबूलाल ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	976	0.3320	0.0750
50	बाबूलाल पिता रामजियावन ब्रा. पता नागौद सतना	975/1	0.1620	0.0120
51	बाबूलाल पिता रामजियावन ब्रा. पता नागौद सतना	974/1	0.2020	0.0090
52	खुशी, करण, मोहनी, पिता मोहनलाल ब्रा. ममता पत्नी मोहनलाल गिरजाबाई पिता मोहनलाल ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	974/2	0.1660	0.0620
53	रामखेलावन पिता जगमोहन ब्रा. पता नागौद सतना	1000	0.1940	0.0710
54	रामखेलावन पिता जगमोहन ब्रा. पता नागौद सतना	1001	0.2830	0.0710
55	नत्थूलाल, रामबहादुर, विद्याबाई, कृष्णावती पिता गयाप्रसाद ब्रा.	999/1/1	0.0490	0.0340
56	मुकेश, राजू, राजेश पिता रामऔतार पता आमा नागौद सतना	1003	0.3120	0.0740
57	सुनील कुमार पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1004/1/3	0.0330	0.0140
58	शिवरमन पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1004/1/4	0.1310	0.0850
59	रामनिवास पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1004/1/1	0.0900	0.0300
60	जीवन पिता झड़यां कोटवार पता देवरी नागौद सतना	1304/5/1	0.1220	0.0750
61	श्रीमती उर्मिला पत्नी सुरेश दहायत पता देवरी नागौद सतना	1304/5/2	0.1290	0.0320
62	जगदीशप्रसाद प्रमदयाल राममइया नाबा.सर पिता रामकुमार फूलाबाई पत्नी मौजीलाल महेन्द्र, सुखेन्द्र, अर्चना पिता मौजीलाल लोधी पता आमा नागौद सतना	1298	0.2990	0.0810
63	दिंगल पिता राम सिंह कंजड़ पता आमा नागौद सतना	1297/2	0.2120	0.0520
64	राजाबाई पुत्री श्याम बिहारी ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1291/2	0.3640	0.1010
65	बृजकिशोर पिता राजकुमार ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1291/1	0.2430	0.1000
66	बृजकिशोर पिता राजकुमार ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1290	0.1440	0.0440
67	बृजकिशोर पिता राजकुमार ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1332/2	0.1010	0.0050
68	आशीष कुमार पिता फूलचंद्र ब्रा पता देवरी नागौद सतना	1365/1	0.1620	0.0820
69	आशीष कुमार पिता फूलचंद्र ब्रा पता देवरी नागौद सतना	1369/1	0.8060	0.0830
70	बद्री पिता छोटेलाल गड़ारी पता आमा नागौद सतना	1369/2/3/3	0.0640	0.0540
71	रामभजन पिता छोटेलाल गड़ारी पता आमा नागौद सतना	1369/2/3/4	0.0640	0.0540
72	सिद्धा पिता श्यामलाल गड़ारी पता आमा नागौद सतना	1369/2/2	0.2710	0.0520
73	मत्तू पिता सुमेश गड़ारी पता आमा नागौद सतना	1369/2/1	0.2670	0.0560
74	सावित्री पति रामखेलावन ऊषादेवी सभा देवी पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1372	0.7770	0.1620
75	लक्ष्मी पति मोतीमन ब्रा. पता आमा नागौद सतना	1371/1	0.1940	0.0120
76	संतोष पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1378/5	0.5540	0.1280
77	रामकुमार पिता रामखेलावन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	1378/6	0.5550	0.0920
78	सत्यवती पत्नी हीरामन, राममइया, रामप्रकाश, पुष्पेन्द्र, देवेन्द्र पिता हीरामन पूजा पुत्री हीरामन व्यास पता देवरी नागौद सतना	1380	3.4800	0.2950
79	भूरी पति ललवा लोधी इन्द्रपाल, रामभगत, जुगुलकिशोर, राजाराम पिता ललवा लोधी पता आमा नागौद सतना	1401/1/1	0.2020	0.1220
80	फुलिया पत्नी नत्थू लोधी पता आमा नागौद सतना	1401/2/1	0.0790	0.0190
81	निरभय पिता नत्थू लोधी पता आमा नागौद सतना	1401/2/2	0.1630	0.1350
82	अमर सिंह पिता नत्थू लोधी पता आमा नागौद सतना	1401/2/3	0.1630	0.1100
83	कमलेश पिता लक्ष्मी प्रसाद लोधी पता आमा नागौद सतना	1409/1/1	0.1010	0.0640

84	गोविन्द, रामलाल पिता राममनोहर लोधी पता आमा नागौद सतना भूमि स्वामी	1409/4	0.2020	0.0640
85	राजाराम पिता कल्लू गड़ारी पता भाजीखेरा नागौद सतना	33/9/2	0.4180	0.1360
86	शिवप्रसाद पिता देशराज काछी पता भाजीखेरा नागौद सतना	33/8	0.3320	0.2060
87	चुनुवादी बेवा पति भारत पप्पू राकेश पिता भारत कुशवाहा पता नागौद सतना भूमि स्वामी	33/1/2	0.2000	0.0060
88	लालमनी पिता रामसजीवन कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	33/1/3	0.2000	0.1100
89	छोटकाई पिता सरजू कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	33/1/5	0.1050	0.0060
90	पुनिया बेवा श्यामलाल वंशरूप फूलचन्द्र नारायण हरीराम पिता श्यामलाल कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	33/3	0.3040	0.0990
91	रामभगत पिता शिवधारी काछी पता भाजीखेरा नागौद सतना	33/13/1	0.1260	0.0100
92	गोविन्द प्रसाद पिता शिवकुमार ब्रा.पता आमा नागौद सतना भूमि स्वामी	33/2	0.2830	0.1020
93	रामखेलावन पिता अयोध्या काछी पता आमा नागौद सतना	94/1/3	0.2910	0.1930
94	रामरूप पिता अयोध्या काछी पता आमा नागौद सतना	94/1/1	0.1860	
95	अरूण पिता शिवप्रताप ब्रा पता आमा नागौद सतना	94/4	0.0730	
96	दयाशंकर पिता दहीराम ब्रा. पता आमा नागौद सतना	105	0.8820	0.2160
97	मुलायम पत्नी ब्रजभूषण ब्रा. नन्दकिशोर, रिषीकुमार पिता ब्रजभूषण ब्रा. पता आमा नागौद सतना	101	0.4980	0.0600
98	राजकुमार पिता मातादीन कुम्हार पता आमा नागौद सतना	99/1	0.1940	0.0100
99	जागेश्वर पिता रामाधीन कुम्हार पता आमा नागौद सतना	123	0.2550	0.0680
100	रामकृपाल पिता रामसिपाही काछी जाति काछी पता आमा नागौद सतना	115	0.1050	0.0050
101	दददूलाल पिता श्यामसुन्दर ब्रा. पता आमा नागौद सतना	116	0.3160	0.0160
102	राजकुमार प्रजापति पिता मातादीन प्रजापति पता आमा नागौद सतना	114/1/2/1	0.0320	0.0280
103	कढेलीलाल पिता रामप्रसाद कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	114/1/2/2	0.1000	0.0600
104	सुशील कुमार पिता दिनेश कुमार त्रिवेदी पता आमा नागौद सतना	276/2	0.1680	0.0810
105	बद्री पिता छोटेलाल गड़ारी पता आमा नागौद सतना	267/2/2	0.1010	0.0040
106	रमेश, मुकेश, पिता रज्जू गड़ारी मु. शांती पति रज्जू गड़ारी पता आमा नागौद सतना	267/1	0.1460	0.1040
107	सिद्धा पिता श्यामलाल गड़ारी पता आमा नागौद सतना	258/3/2	0.0370	0.0060
108	रमेश, मुकेश, पिता रज्जू गड़ारी मु. शांती पति रज्जू गड़ारी पता आमा नागौद सतना	258/2/1	0.0500	0.0500
109	छोटेलाल पिता रघुवीर गड़ारी पता आमा नागौद सतना	249	0.1420	0.0810
110	मुकेश कुमार पिता प्रेमलाल कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	260/3/2	0.0440	0.0110
111	हीरालाल पिता रघुवीर गड़ारी पता आमा नागौद सतना	259	0.2270	0.0610
112	रामप्रसाद पिता रामविशाल काछी पता आमा नागौद सतना	252	0.1860	0.0700
113	रामेश्वर पिता रामलाल काछी पता आमा नागौद सतना	251/2	0.3240	0.1260
114	मु. शीला बेवा सूर्यप्रकाश कुशवाहा रजनी, पंकज पिता सूर्यप्रकाश कुशवाहा पता आमा नागौद सतना	260/1/2	0.1820	0.0050
115	दददूलाल पिता जुबराज काछी पता आमा नागौद सतना	260/1/1	0.2220	0.0640
116	रामनारायण पिता रामखेलावन ब्रा. पता आमा नागौद सतना	442	1.1530	0.0850
117	रामविशवास पिता मोहनलाल काछी पता आमा नागौद सतना	461/2/3	0.1450	0.0160

118	लल्लूलाल पिता मोहनलाल काछी पता नागौद सतना	461/2/2	0.1450	0.0900
119	राजबहादुर पिता ददूलाल काछी पता आमा नागौद सतना	461/1/1	0.1460	0.0080
120	रामकुमार पिता रामविशाल काछी पता आमा नागौद सतना	470/3	0.6030	0.1650
121	अवध बिहारी पिता भागीरथी ब्रा. पता आमा नागौद सतना	472	0.1700	0.0860
122	अवध बिहारी पिता भागीरथी ब्रा. पता आमा नागौद सतना	473/3/2	0.0500	0.0100
123	नन्हिया बेवा ललित किशोर रामनरेश कमलेश पिता ललित किशोर पता सा. देह भूमि स्वामी	473/1	0.1620	0.0940
124	राजाभइया पिता परमेश्वर ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	482/1	0.5740	0.0850
125	मदनमोहन पिता भवानीदीन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	483/3	0.1620	0.1620
126	मदनमोहन पिता भवानीदीन ब्रा. पता देवरी नागौद सतना	483/2	0.2430	0.0180
127	गीता देवी पिता उमाप्रसाद, गीता देवी पत्नी रमेश कुमार, आशीष विवेक, रश्मी, दिव्या पिता रमेश कुमार, कलावती पत्नी दिनेश कुमार, सुनील, सुशील कुमार, प्रीती, प्रियंका पिता दिनेश कुमार ब्रा. अवधेश कुमार पिता उमा प्रसाद ब्रा. पता आमा नागौद सतना	486/2	0.5260	0.1170
128	तिलकेश्वर प्रसाद पिता कृष्णादत्त ब्रा. पता आमा नागौद सतना	678/2	0.1170	0.0950
129	लीलावती पत्नी गोरेलाल ब्रा. पता आमा नागौद सतना भूमिस्वामी	527	0.3640	0.1980
130	आन्दीलाल पिता रामबहोरी ब्रा.	659/1/2	0.2480	0.0090
131	रामनारायण पिता हनुमानप्रसाद निगम पता आमा नागौद सतना	661	0.3200	0.0490
	योग			8.4610

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर कोल माइनर एवं कोल सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1878-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - कल्या

(घ) क्षेत्रफल- 2.3800 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रामलाल पिता लल्लू लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/1/10/3	0.4700	0.0430
2	अच्छेलाल पिता भोला लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/2/2	0.7650	0.0180
3	सूरज पिता भोला लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/2/3	0.7650	0.0440
4	अवधराज पिता भोला लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/3/4	0.7650	0.0440
5	रामनरेश लोधी पिता लालमनी लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/3/10	0.4540	0.0180
6	रामनरेश लोधी पिता लालमनी लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/3/23	0.4560	0.0240
7	जयप्रकाश रामनरेश बागरी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/7/1	0.4500	0.0160
8	ममता पत्नी मोहन चमर विक्रम, पुष्पेन्द्र, राजकुमारी, अराधना पिता मोहन चमर पता द्वारी कला नागौद सतना भूमिस्वामी	578/7/2/2	0.0460	0.0460
9	राममइया पिता ददोली लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/4	0.3600	0.0200
10	रामसुजान पिता गनपत लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	578/5	0.1210	0.0170
11	कीर्ति देवी पिता बिहारीलाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	584	1.0110	0.1150
12	कीर्ति देवी पिता बिहारीलाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	585	0.0400	0.0040
13	रामेश्वर प्रसाद पिता देवदत्त ब्रा. कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	588/1	1.3070	0.1470
14	रामेश्वर प्रसाद पिता देवदत्त ब्रा. कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	589	0.0850	0.0040
15	रामेश्वर प्रसाद पिता देवदत्त ब्रा. कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	590/1	1.0190	0.0260
16	रामकेश पिता दुर्गा प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	591	0.1590	0.0460
17	रामकेश पिता दुर्गा प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	592/1	0.0400	0.0120
18	रामसुजान पिता गनपत लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	592/2	0.0810	0.0240
19	भूपतप्रसाद पिता लालन ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	594	0.2230	0.0120
20	अशोक कुमार पिता हरीदीन बागरी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	609/2	0.4160	0.0020
21	राजकुमार पिता बृजवासी कोटवार पता द्वारीकला सतना भूमिस्वामी	610	0.1790	0.0480
22	राजकुमार पिता बृजवासी कोटवार पता द्वारीकला सतना भूमिस्वामी	611/2	0.0810	0.0040
23	राजकुमार पिता बृजवासी कोटवार पता द्वारीकला सतना भूमिस्वामी	614	0.1210	0.0060
24	राजकुमार पिता बृजवासी कोटवार पता द्वारीकला सतना भूमिस्वामी	615	0.1780	0.0480
25	रामकेश पिता दुर्गा प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	616/1	0.1540	0.0200
26	रामकेश पिता दुर्गा प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	617	0.1250	0.0360
27	कन्हीलाल नारायण वीरन दुर्घटिया कल्ली सोनिया पिता मंगलिया जाति काछी पता सा. देह भूमिस्वामी	627	1.0110	0.1260
28	हरीराम पिता मुडिया ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	637	0.9300	0.0990
29	कामता प्रसाद पिता ददोली लोधी पता द्वारीकला नागौद सतना भूमिस्वामी	638	0.5990	0.0280
30	कामता प्रसाद पिता ददोली लोधी पता द्वारीकला नागौद सतना भूमिस्वामी	639	0.1250	0.0430
31	फुल्ली पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/1	0.0810	0.0290

32	बुल्ला उर्फ मोतीलाल पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/2	0.0850	0.0290
33	पानबाई पत्नी विशेषर दहायत ऋतेश, प्रभुदयाल, मिथलेश, सुनिल पिता विशेषर दहायत पता नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/3	0.0810	0.0290
34	सौखीलाल पिता विशुन्धा कोटवार पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/4	0.0810	0.0290
35	संतोष पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/5	0.0810	0.0290
36	ईश्वरी प्रसाद पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	716/2/6	0.0810	0.0290
37	खर्चीलाल पिता भोला लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	717/1	0.4050	0.0420
38	फुल्ली पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/1	0.2800	0.0230
39	बुल्ला उर्फ मोतीलाल पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/2	0.2800	0.0230
40	पानबाई पत्नी विशेषर दहायत ऋतेश, प्रभुदयाल, मिथलेश, सुनिल पिता विशेषर दहायत पता नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/3	0.2740	0.0230
41	सौखीलाल पिता विशुन्धा कोटवार पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/4	0.2740	0.0270
42	संतोष पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/5	0.2750	0.0230
43	ईश्वरी प्रसाद पिता विशुन्धा पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	717/2/6	0.2750	0.0230
44	कमलेश प्रसाद पिता रामखेलावन ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	719	0.5830	0.0510
45	अ.कु. माया पुत्री अनुसुइया जाति ब्रा. पता सा. शिवराजपुर	725	0.3720	0.0060
46	रामपति पत्नी लालजी शंकरलाल, शारदा प्रसाद, अशोक कुमार, केशव प्रसाद, विमला पिता लालजी ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	727	0.6070	0.1040
47	प्रदीप लोधी पिता गिरजा प्रसाद लोधी पता द्वारीकला नागौद सतना भूमिस्वामी	728/1	0.5270	0.0650
48	संदीप कुमार पिता गिरजाप्रसाद लोधी पता सा. द्वारीकला भूमिस्वामी	728/2	1.0120	0.0820
49	हीराबाई पत्नी गोरेलाल उदयमान, चन्द्रमान, हरीबाई, बालमिति पिता गोरेलाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	735	0.4170	0.0320
50	हीराबाई पत्नी गोरेलाल उदयमान, चन्द्रमान, हरीबाई, बालमिति पिता गोरेलाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	736/1	0.1660	0.0840
51	अ.कु. माया पुत्री अनुसुइया जाति ब्रा. पता सा. शिवराजपुर	737	1.1330	0.0620
52	रामनिवास पिता रामविशाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	741/1/3	0.2700	0.0410
53	राजाभईया पिता रामविशाल ब्रा. पता कल्या नागौद सतना भूमिस्वामी	741/1/4	0.2660	0.0410
54	भगवानदास पिता सुरजदीन ब्रा. पता नागौद सतना भूमिस्वामी	743/2	1.3600	0.1460
55	अशोक कुमार पिता हरीदीन बागरी पता नगौद सतना भूमिस्वामी	755/2	0.2260	0.0790
56	गिरीश प्रसाद पिता अनुसुइया प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	756/1	0.4170	0.0810
57	अशोक कुमार पिता हरीदीन बागरी पता नगौद सतना भूमिस्वामी	756/2	0.1900	
58	सूरज पिता भोला लोधी पता नागौद सतना भूमिस्वामी	579	0.0080	0.0080
	योग			2.3800

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक—1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर कल्या माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1879-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - शिवराजपुर

(घ) क्षेत्रफल- 4.9360 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	4	5	6
1	विमला बेवा गणेशप्रसाद वौरा, बब्बू चन्नु नन्दा नाबालिग पुत्री गणेशप्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1057/2/2/1	0.1300	0.0450
2	सियासखी बेवा ठाकुर प्रसाद ब्रा ज्योतिप्रकाश, जयप्रकाश, ओमप्रकाश, मीना, लक्ष्मण, अनूराणी, नन्नी पुत्री ठाकुर प्रसाद गायत्री देवी बेवा, शशिकान्त, शिवकान्त, मनी, बंदना, संगीता, मंजू, संजू, लल्लूराम दददूलाल पिता कुलईराम ब्रा. शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1057/2/3/1	0.3950	0.0360
3	बसंती पत्नी बैहा बढई सोनेलाल, कल्ली पिता बैहा बढई छोटा पिता विशाली श्यामबाई बेवा, रामानन्द, रामहजार, रामराज, छत्रपाल, कुन्ता पिता बुल्लू, उर्फ रामदीन बढई, पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1062/1	0.0160	0.0040
4	संजीव कुमार, रविप्रकाश पिता कन्हेदी प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1059	0.7810	0.1580
5	नरोत्तम प्रसाद ब्रा पिता रामरुद्र ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1072	0.5910	0.1550
6	गंगाराम पिता नत्थूलाल सोनी जाति सोनी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1073/1/1	0.4050	0.0070
7	कार्तिकेय उर्फ पन्नालाल पिता रामरुद्र ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1175/1/1	1.0070	0.1820
8	मंगल साहू पिता दुलारे साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1186/1	0.1010	0.0700
9	रतनलाल पिता रामदुलारे तेली पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1186/2	0.1620	0.0040
10	मु. बसन्ती बेवा सोनेलाल साहू खेमराज, सुल्ला, शिवप्रसाद, बडी, मझली, सझली, छोटी पुत्री सोनेलाल साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1217/1	0.5220	0.1400
11	खर्चीलाल पिता भोला प्रसाद साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1217/2/1	0.2060	0.0270
12	वल्लू पिता रमचन्दा साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1218	0.0530	0.0230

13	लल्ला पिता लक्ष्मनिया साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1178/1	0.2350	0.0770
14	लल्ला पिता लक्ष्मनिया साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1214/1	0.0610	0.0490
15	कृपाशंकर ब्रा पिता सुदामा प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1214/2	0.0400	0.0040
16	रामधनी पिता छोटा साहू मन्नू पिता स्वामीदीन, मनगिरिया बेवा, सेवा, नेवा, कमलेश, बन्दो पुत्री, पिता गन्नी साहू, इन्द्रनिया बेवा, शोभा, सरोवर, रामप्रताप पिता गरीबा साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1182/1	0.1170	0.0040
17	रामधनी पिता छोटा साहू मन्नू पिता स्वामीदीन, मनगिरिया बेवा, सेवा, नेवा, कमलेश, बन्दो पुत्री, पिता गन्नी साहू, इन्द्रनिया बेवा, शोभा, सरोवर, रामप्रताप पिता गरीबा साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1184/1/1	0.0650	0.0190
18	आनंद कुमार गडारी पिता तुलशा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1184/1/2	0.0240	0.0180
19	गायत्री पाण्डेय पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पता शिवराजपुर सतना भूमिस्वामी	1184/2	0.0160	0.0040
20	मंगल साहू पिता दुलारे साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1185	0.0770	0.0180
21	वृन्दावन पिता दददू गडारी पता सा देह भूमिस्वामी	1166/1	0.1010	0.0110
22	रिषम नाबालिग पिता राजेश ब्रा संरक्षक पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1164	0.0530	0.0530
23	रिषम नाबालिग पिता राजेश ब्रा संरक्षक पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1165	0.0530	0.0480
24	वृन्दावन पिता दददू गडारी पता सा देह भूमिस्वामी	1168	0.0850	0.0190
25	रिषम नाबालिग पिता राजेश ब्रा संरक्षक पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1157/1	0.1460	0.0740
26	रिषम नाबालिग पिता राजेश ब्रा संरक्षक पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1157/2	0.0570	0.0120
27	रामबाई पत्नी राजेन्द्र सीता मिश्रा बेवा सुनील उर्फ प्रदीप, साहिल मिश्रा नाबालिग पुत्र सुनील सची मिश्रा पिता सुनील उर्फ प्रदीप पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1792/1/1/2	0.3570	0.0950
28	सरभन मिश्रा बेवा राजकुमार सुशील, रामतीर्थ, माया पुत्री राजकुमार पता पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	1792/1/2	0.4860	0.0950
29	उपेन्द्र नारायण, सन्तराम, मथुरा प्रसाद, रुद्र प्रसाद, परमानन्द, शिवनन्दन, उरिया, बुट्टी पुत्री रामसुर्दशन ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2128/1	0.9380	0.1460
30	पुष्पेन्द्र ब्रा पिता राधौ प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2128/2/1	0.4690	0.1020
31	अरविन्द त्रिपाठी पिता वृन्दावन त्रिपाठी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2128/2/2	0.4690	0.1020
32	सुनीता मिश्रा बेवा अवध बिहारी, शिवम मिश्रा, रीता मिश्रा पुत्री अवध बिहारी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2127/1	0.1370	0.0420

33	घनश्याम प्रसाद पिता रामावतार मिश्रा पता सा. देह भूमिस्वामी	2127/2	0.0770	0.0080
34	घनश्याम प्रसाद पिता रामावतार मिश्रा पता सा. देह भूमिस्वामी	2126/2	0.1050	0.0240
35	विद्या ब्रा पुत्री रामखेलावन शंखी ब्रा. बेवा रामखेलावन राजाबाई शर्मा बेवा रामनरेश शर्मा नवलकिशोर, प्रवीण कुमार, सविता पिता रामनरेश शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2097	0.0810	0.0040
36	बालमुकुंद शर्मा पुत्र रामचरे शर्मा, मुरलीधर शर्मा, कमलेश शर्मा, अवधेश शर्मा पुत्र रामचरे शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2125/3/1	0.0690	0.0650
37	सुनील कुमार उर्फ संदीप कुमार रवि कुमार भरत कुमार पिता रामजी सुरेश पिता बैकुण्ठ प्रसाद ब्रा पता सा. देह भूमिस्वामी	2125/2/2	0.0530	0.0530
38	सुनील कुमार उर्फ संदीप कुमार रवि कुमार भरत कुमार पिता रामजी सुरेश पिता बैकुण्ठ प्रसाद ब्रा पता सा. देह	2125/3/2	0.0730	0.0730
39	सुनील कुमार उर्फ संदीप कुमार रवि कुमार भरत कुमार पिता रामजी सुरेश पिता बैकुण्ठ प्रसाद ब्रा पता सा. देह	2125/4/2	0.0490	0.0110
40	विद्या ब्रा पुत्री रामखेलावन शंखी ब्रा. बेवा रामखेलावन राजाबाई शर्मा बेवा रामनरेश शर्मा नवलकिशोर, प्रवीण कुमार, सविता पिता रामनरेश शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2125/5	0.1620	0.0720
41	विद्या ब्रा पुत्री रामखेलावन शंखी ब्रा. बेवा रामखेलावन राजाबाई शर्मा बेवा रामनरेश शर्मा नवलकिशोर, प्रवीण कुमार, सविता पिता रामनरेश शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2121/8	0.1820	0.0830
42	कृष्ण कुमार पिता रणछोर प्रसाद शर्मा बसंत कुमार पिता रणछोर प्रसाद शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2122/1	0.5100	0.1350
43	उदयकृष्ण, उमाशंकर, प्रशांत, संजय पिता छोटेलाल शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2116	0.2390	0.0810
44	उदयकृष्ण, उमाशंकर, प्रशांत, संजय पिता छोटेलाल शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2117/1	0.0850	0.0700
45	ददोली प्रसाद पिता लोकनाथ ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2118/1	0.1620	0.0240
46	उदयकृष्ण, उमाशंकर, प्रशांत, संजय पिता छोटेलाल शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2031	0.2430	0.0060
47	चीड्डी पुत्र सुन्दर लाल सुमित्रा बेवा, पुष्पेंद्र, अर्चना किशोरीलाल डीमर, गिरवर पुत्र रघुवर शंखी पुत्री रघुवर पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2029/1	0.1210	0.0730
48	रामविशाल पिता बट्टी प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2022	0.1010	0.0440
49	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2023	0.0690	0.0240
50	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2019	0.2020	0.0040

51	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2020	0.1210	0.0480
52	रामविशाल पिता बद्री प्रसाद ब्रा. पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2021	0.1050	0.0050
53	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2014/1	0.6550	0.1230
54	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2018/1	0.0770	0.0440
55	रामविशाल पिता बद्री प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2018/2	0.1620	0.0430
56	आनन्द पयासी पिता कृष्ण कुमार पयासी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2245	0.9340	0.1090
57	आनन्द पयासी पिता कृष्ण कुमार पयासी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2246	0.0530	0.0110
58	रामसुख पांडेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2247/2	0.1010	0.0630
59	नारायणदास ब्रा पिता जयराम पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2248/1	0.2630	0.0720
60	नारायणदास ब्रा पिता जयराम पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2249	0.6280	0.0720
61	नारायणदास ब्रा पिता जयराम पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2250/2	0.0770	0.0100
62	दिलीप कुमार पिता रामानुज ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2425	0.3320	0.0050
63	शान्ती बाई पत्नी कालीचरण, युधिष्ठिर, विजय कुमार, विष्णू भूपेन्द्र कुमार पिता कालीचरण ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2377/1	0.2920	0.1120
64	ललितकुमार मिश्रा पुत्र चंद्रकेतु पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2377/2	0.2910	
65	सुरेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र सुभाषचंद्र पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2377/3	0.2910	
66	शान्ती बाई पत्नी कालीचरण, युधिष्ठिर, विजय कुमार, विष्णू भूपेन्द्र कुमार पिता कालीचरण ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2378/1	0.0120	0.0100
67	ललितकुमार मिश्रा पुत्र चंद्रकेतु पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2378/2	0.0160	
68	सुरेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र सुभाषचंद्र पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2378/3	0.0120	
69	रमेश कुमार द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2411	0.1010	0.0470
70	रमेश कुमार द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2412	0.0160	0.0070
71	रमेश कुमार द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2413	0.0610	0.0070
72	राम सुहावन, राममोहन पिता गया प्रसाद पता शिवराजपुर नागौद	2356	0.2910	0.0580

73	राम सुहावन, राममोहन पिता गया प्रसाद पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2358	0.4130	0.1020
74	राम सुहावन, राममोहन पिता गया प्रसाद पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमि स्वामी	2354	0.2910	0.0500
75	विद्याप्रकाश पिता राममोहन ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2384	0.2630	0.1120
76	विद्याप्रकाश पिता राममोहन ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2385	0.2470	0.0100
77	आनंद मोहन पिता रामाधार पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2360	0.2270	0.1090
78	राजेश पिता मंगल पाण्डेय पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2335/1	0.2920	0.0620
79	राकेश कुमार पिता मंगल पाण्डेय पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2335/2	0.2910	0.0610
80	राकेश कुमार पिता मंगल पाण्डेय पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2334/2	0.3200	0.0760
81	राजेश पिता मंगल पाण्डेय पता बिलौधा नागौद सतना भूमिस्वामी	2334/1/2	0.2970	0.0760
82	राम सुहावन पिता गया प्रसाद पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2347	0.4070	0.0480
83	विलिया पुत्री रामधनी ब्रा. मीना द्विवेदी बेवा अखिलेश शैलेश, नीलेश, नेहा, पिता अखिलेश रामलली, सावित्री, गुडिया, राजाराम, पुत्री रामधनी ब्रा. पता नागौद सतना भूमिस्वामी	2348	0.2830	0.0690
84	शान्ती बाई पत्नी कालीचरण, युधिष्ठिर, विजय, कुमार, विष्णु, भुपेन्द्र कुमार पिता कालीचरण ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2359/1	0.0120	0.0080
85	ललितकुमार मिश्रा पुत्र चंद्रकेतु पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2359/2	0.4250	
86	अवधबिहारी ब्रा. पिता रामसजीवन पता बिलौधा सतना नागौद भूमिस्वामी	2361	0.3240	0.0120
87	रमेश कुमार द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2410	0.2060	0.0090
88	गंगा प्रसाद द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2409	0.1050	0.0080
89	गंगा प्रसाद द्विवेदी पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2408	0.0770	0.0410
90	रमेश कुमार पिता रामसजीवन द्विवेदी पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2406	0.1420	0.0470
91	गंगोत्रीबाई पत्नी गिरीश कुमार गर्ग देवेश पिता गिरीश कुमार पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2330/2	0.2310	0.1930
92	विद्या ब्रा पुत्री रामखेलावन शंखी ब्रा. बेवा रामखेलावन राजाबाई शर्मा बेवा रामनरेश शर्मा नवलकिशोर, प्रवीण कुमार, सविता पिता रामनरेश शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2097	0.0810	0.0040
93	कृपाशंकर ब्रा पिता सुदामा प्रसाद ब्रा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	1212	0.0970	0.0040

94	उदयकृष्ण, उमाशंकर, प्रशांत, संजय पिता छोटेलाल शर्मा पता शिवराजपुर नागौद सतना भूमिस्वामी	2031	0.2430	0.0050
95	धनश्यामदास ब्रा पिता बसंतशम ब्रा पता दवारी नागौद सतना भूमिस्वामी	2306	0.7090	0.1130
96	नत्थूलाल, दददुलाल, रामाश्रय, सिद्धगोपाल पिता श्यामसुन्दर पता सा.भाजीखेरा नागौद सतना	2382	0.3880	0.0040
97	रामसखा पिता अनुरुद्ध प्रसाद ब्रा. पता सा.द्वारीखुर्द नागौद सतना	2307	0.0160	0.0070
98	गायत्री पाण्डेय पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय पता शिवराजपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1183	0.1130	0.0230
99	मंगल साहू पिता दुलारे साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1188/1	0.0280	0.0080
100	रतनलाल साहू पिता दुलारे साहू पता शिवराजपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1188/2	0.0280	0.0040
101	छत्रजीत पिता भगवानदीन पाण्डेय जाति पाण्डेय पता शिवराजपुर नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1153/1	0.1820	0.1240
102	अरविन्द कुमार त्रिपाठी पिता मुकुन्द प्रसाद त्रिपाठी सुरेन्द्र कुमार पिता मुकुन्द प्रसाद त्रिपाठी पता बिलौधा नागौद सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2024	0.0730	0.0040
	योग			4.9360

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला—सतना म.प्र. द्वारा नागौद—सतना शाखा नहर कल्पा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला—सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1880-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - तिघरा

(घ) क्षेत्रफल- 0.5050 हे०

क्र.	भूस्वामी का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	5	6
1	रामपाल पटेल पिता नत्थू प्रसाद कुर्मी पता तिघरा	182/2	0.2720	0.0620
2	रामलली पत्नी हरवंश प्रसाद पटेल पता हरदुआ कला	183/2	0.3450	0.1150
3	बिटोल पुत्री हीरामन कुर्मी पता तिघरा नागौद	183/1/2	0.2610	0.0300
4	लालजी पिता निरपत कुर्मी पता तिघरा नागौद	222	1.2440	0.1230
5	उपेन्द्र कुमार पिता रामदेव कुर्मी पता तिघरा नागौद	224/2/3	0.1180	0.0030
6	नारेन्द्र पटेल पिता जगदीश प्रसाद पटेल पता तिघरा नागौद	224/1/1	0.3970	0.0940
7	मथुरा प्रसाद पिता रामरूप कुर्मी पता तिघरा नागौद	225	0.3340	0.0520
8	अनीता पत्नी सुरेन्द्र ब्रा. पता हरदुआ कला नागौद सतना	226/1/2/2	0.0630	0.0210
9	अवधराज कुशवाहा पिता महादेव कुशवाहा पता नागौद सतना	239/2	0.0590	0.0050
	योग-			0.5050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद, जिला-सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-336-337-भू-अर्जन-2025

शाजापुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक / 0001/अ-82/2024-25 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातकर आर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में एक आपत्ति का निराकरण धारा 15 के अंतर्गत किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (शुजालपुर से समपार क. 79 स्थित लत्वे फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु भूमि का अर्जन) के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विरथापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की रकम की आवश्यकता नहीं है। धारा 12 की कार्यवाही के उपरान्त सम्पत्ति का नुकसान नहीं होने से धारा 13 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कालम नं. 7 में वर्णित भूमि लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

भूमि का विवरण:-

(क)	जिला:- शाजापुर						
(ख)	तहसील :- शुजालपुर						
(ग)	ग्राम:- कस्बा शुजालपुर , कमलिया, शुजालपुर आबादी						
(घ)	क्षेत्रफल निजी भूमि:- रकबा 1112.11 (वर्गमीटर)						
:- अनुसूची :-							
कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा हे. में	अर्जित की जाने वाली भूमि का आवासीय	व्यवसायिक	कुल	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोसायटी सहकारी बैंक से रेल्वे फाटक की ओर कस्बा शुजालपुर							
1	सुनिल कुमार देवल पिता नकजीराम	1951	4.640	0.00	3.66	3.66	
2	नेहा पति स्व. नरेन्द्र चितले	1951	4.640	7.32	0.00	7.32	रिक्त
3	पद्मकुमार पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/2	4.640	0.00	9.12	9.12	
4	डा. निर्मल जैन पिता बसन्तीलाल	1951/ 12/1/1	4.640	0.00	0.76	0.76	
5	विक्रमसिंह सागरसिंह भरतसिंह भोजराज पुत्रगण रामनारायण लखनसिंह पिता कुंवरलाल	1951/9 शा.न.1951/10,11	4.640	0.00	19.07	19.07	
6	डा. दीपचन्द्र सुराना पिता रतनलाल सुराना	1951/3/1	4.640	0.00	1.20	1.20	
7	राजकुमार अर्जुनसिंह भीमसिंह महेन्द्रसिंह पिता बापुलाल	1951	4.640	0.00	8.10	8.10	
8	अनिता पति मनमोहन यादव तलेन	1951	4.640	0.00	2.77	2.77	
9	संदीपकुमार पिता बाबुलाल नेमा	1951	4.640	0.00	4.42	4.42	
10	सौरभ सपन नेमा पिता निरंजन नेमा	1951	4.640	0.00	4.25	4.25	
11	हेमलता पति कैलाश सोनानिया	1951	4.640	0.00	5.20	5.20	
12	सगीता नेमा पति गौरीशंकर नेमा	1951/2/9582/1/2	4.640	0.00	7.38	7.38	
13	हरिसिंह पिता चुन्नीलाल परमार मेहरखेडी	1951/2/9582/1 1	4.640	0.00	7.44	7.44	
14	प्रहलादसिंह पिता बलदेव सिंह परमार	1951/2/9	4.640	0.00	7.36	7.36	
15	माखनसिंह पिता लाडसिंह परमार पटलायदा	1951	4.640	0.00	4.64	4.64	
16	मुन्नीदेवी पति आनन्दीलाल नेमा	1951/23/28 शा.न. 1951/26.1952/3	4.640	0.00	5.44	5.44	
17	जसवत सिंह,विक्रमसिंह पिता कन्हैयालाल मऊघाट	1951	4.640	0.00	5.49	5.49	
18	हरिचरण पिता तखतसिंह	1951/23/24 शा.न. 1951/23.1952/3	4.640	0.00	4.96	4.96	

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा हे. में	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण वर्गमीटर में			अन्य विवरण
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	लीलादेवी पति शादीलाल राठौर	1951	4.640	0.00	6.83	6.83	
20	हरीश कुमार पिता जैनपाल जैन	1951	4.640	0.00	6.83	6.83	
21	जेतु सिंह प्रेमसिंह पिता बापुसिंह	1951 शा.नं.1952	4.640, 1.244	0.00	9.98	9.98	
22	प्रकाशचन्द्र पिता शान्तीलाल अग्रवाल	1951/33 शान.1952/5	4.640, 1.244	0.00	8.09	8.09	
23	रमेशचन्द्र पिता भगवतराव देशमुख	1951 शा.नं.1952	4.640, 1.244	0.00	25.24	25.24	
24	दिलीप पाटीदार पिता बदीप्रसाद पाटीदार	1951/29/5	4.640	0.00	8.67	8.67	
25	सरिता पति रामनारायण	1951	4.640	0.00	10.29	10.29	
26	सन्तोष पति भागीरथ	1951/29/3 शान.1952/6	4.640, 1.244	0.00	16.70	16.70	
27	माखनसिंह पिता राधाकिशन	1951	4.640	0.00	7.02	7.02	
28	मानसिंह, हुकमसिंह, मोजीलाल, जगदीश पुत्रगण हरीनारायण	1951	4.640	0.00	8.88	8.88	
29	गीताबाई पिता कन्हैयालाल पाटीदार	1951	4.640	0.00	9.80	9.80	
30	हरजित कोर पति राजेन्द्रसिंह	1951	4.640	0.00	9.80	9.80	
31	राजेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह	1951	4.640	0.00	11.36	11.36	
32	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुंवरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	3.66	3.66	
33	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुंवरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	2.44	2.44	
34	केशरसिंह मोहनलाल पिता कुंवरजी व हुकमसिंह जगदीश रामसिंह पिता बाबुलाल	1951	4.640	0.00	0.61	0.61	
35	सन्तोष पिता भागीरथ	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.28	1.28	
36	सरस्वतीबाई पति सन्तोष	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.19	1.19	
37	लीलाधर पिता सिद्धालाल	1951/30 शान.1952/7	4.640, 1.244	0.00	1.19	1.19	
कमलिया की भूमि							
38	शैलेन्द्र अग्रवाल पिता गोपालकृष्ण, बसंतीदेवी पति गोपालकृष्ण	206 / 4	0.052	0.00	6.75	6.75	
39	हरजीतकौर पति राजेन्द्रसिंहकौर	206 / 4	0.052	0.00	6.75	6.75	
40	विश्वजीत पिता सर्जौराव जाधव, राजेन्द्र आदित्य जाधव पिता विश्वजीत जाधव	203	0.021	0.00	6.84	6.84	
41	मांगीलाल पिता बिहारीलाल यादव	201	0.010	15.41	0.00	15.41	
42	विजेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह	206 / 6	0.021	17.53	0.00	17.53	
43	सावित्री देवी पति विजेन्द्रसिंह	205	0.021	17.53	0.00	17.53	
44	देवेन्द्रसिंह पिता विजेन्द्रसिंह	206 / 2	0.021	17.53	0.00	17.53	
45	अनिलकुमार पिता बाबुलाल भण्डारी	206	0.021	0.00	4.14	4.14	
46	प्रकाशसणस पिता यशवंतराव सणस	207 / 1/3	0.010	0.00	6.94	6.94	
47	संजयसणस पिता रामचन्द्रराव	207	0.025	0.00	7.70	7.70	
48	सुभाष सणस पिता स्व. लक्ष्मणराव सणस	207 / 1/1	0.219	11.63	0.00	11.63	
49	रामकन्या बाई पति जगदीशप्रसाद चौरसिया	207	0.219	12.24	0.00	12.24	
50	मुकेश बोराली पिता रामसिंह	207	0.219	10.47	0.00	10.47	
51	अशोक देशमुख पिता श्यामराव देशमुख	207	0.219	23.04	0.00	23.04	

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा है. में	अज्ञित की जान वाला भूमि का विवरण वर्गमीटर में			अन्य विवरण
				आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	कोशल्याबाई पति रामप्रसाद	207	0.219	23.75	0.00	23.75	
53	गोविंद रायकवार पिता महादेव	207	0.219	28.36	0.00	28.36	
54	रज्जुलाल पिता छितरमल	207	0.219	33.64	0.00	33.64	
55	मुन्नालाल पिता सुजानसिंह	208	0.125	24.36	0.00	24.36	
56	सिद्धनाथसिंह पिता जगन्नाथसिंह राजपुत	208/4	0.125	37.70	0.00	37.70	
57	सुगनदेवी पति बाबुलाल मालवीय	208	0.125	37.70	0.00	37.70	
58	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	31.61	0.00	31.61	
59	शंकरलाल पिता नन्नेलाल	208	0.125	58.58	0.00	58.58	
60	पारस पिता किशनलाल	208	0.125	56.32	0.00	56.32	
शुजालपुर आबादी नम्बर							
61	जगदीश यादव पिता परमलाल	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	67.84	0.00	67.84	
62	मोहनलाल पिता जुगलकिशोर जाट	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	27.41	0.00	27.41	
63	कमलाबाई पति देयनारायण देशवाली	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	36.52	0.00	36.52	
64	सांगीलाल मदनलाल मोहनलाल पिता धनसिंह विश्वकर्मा	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	52.80	0.00	52.80	
65	रमेश पटेल पिता कोमलप्रसाद	2617 आबादी शुजालपुर	1.506	0.00	21.25	21.25	
सेंट्रल बैंक से पुलिस चौकी/रेल्वे फाटक की ओर कस्बा							
66	नितीक पिता गोपाल नेमा	1964/1/50/2	1.195	0.00	3.72	3.72	
67	शिवशंकर, ब्रजमोहन पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34	
68	बंसतीलाल गोपालदास पिता जगन्नाथ नेमा	1960	4.640	0.00	4.34	4.34	
69	राजेश पिता राधेश्याम वर्मा	1960/2/5/1	0.009	0.00	8.28	8.28	
70	योगेश शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा	1960/2/5/2	4.640	0.00	3.41	3.41	
71	राजकुमार, त्रिलोक पिता स्व.छोटेलाल नेमा	1960	4.640	0.00	5.27	5.27	
72	गिरधारी, मोहनसिंह पिता रमेशचंद्र परमार	1960/2/8	4.640	0.00	8.39	8.39	
73	देवेन्द्र जैन पिता मेघराज	1960/2/4	4.640	0.00	8.39	8.39	
74	द्वारका अग्रवाल पिता बालमुकुन्द	1963/5	1.432	17.60	0.00	17.60	रिक्त
75	नवनीतसिंह, अर्पिता, अजमानी पिता जसवीरसिंह, बलवीरसिंह कौर बैवा जसवीरसिंह, सुरिन्दर सिंह पिता जोगेन्द्र सिंह	1963/4	1.432	0.00	27.84	27.84	
76	ऋषि अग्रवाल पिता ओमप्रकाश	1964/3/1/2/1	4.640	0.00	2.59	2.59	
77	सतीश जैन पिता ओमप्रकाश जैन	1964/3/1/2/2	4.640	0.00	2.59	2.59	
78	विनोद अग्रवाल पिता हरविलास	1964/2, 1964/3	4.640	0.00	31.35	31.35	
79	दादाबाई समिति	1964/5	4.640	0.00	22.70	22.70	
80	गोविन्द प्रसाद पिता मैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26	
81	रमेश चन्द्र पिता मैयालाल	1965	3.135	0.00	0.26	0.26	
योग:-				666.89	445.22	1112.11	

नोट:- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 अक्टूबर 2025

क्र.-8435 / भू-अर्जन / 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ०१ / अ-82 / 2025-26 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम उदपुरिया की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	उदपुरिया	0.558
कुलयोग :-		0.558

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम उदपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	शैतानबाई बेवा गोरीलाल भगवानसिंह राहुल पिता गोरीलाल जाति रूवाला	3/10/2/1	0.558	0.558
		1	0.558	0.558

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-8585-भू-अर्जन-2025

राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया उकावद मार्ग में पार्वती नदी पर जल मग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पहाड़गढ़ में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

सुठालिया उकावद मार्ग में पार्वती नदी पर जल मग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में भूमि का अर्जन
प्रस्ताव, ग्राम:- पहाड़गढ़

स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया मार्ग में पार्वती नदी पर जल मग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में प्रभावित ग्राम- पहाड़गढ़ की भूमि की आवश्यकता।	3.415	0.056

अनुसूची-(2)

क.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	पप्पूसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/18, गोपाल पिता अमरसिंह हि. 1/18, मानसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/18, बंटी पिता अमरसिंह हि. 1/18, द्रोपतीबाई पुत्री अमरसिंह हि. 1/18, सुनीताबाई पुत्री अमरसिंह हि. 1/18, मंजूबाई पुत्री अमरसिंह हि. 1/18, मनीषाबाई पुत्री अमरसिंह हि. 1/18, सौरभबाई बैवा अमरसिंह जाति चमार हि. 1/18, पांछीबाई बैवा धन्नालाल जाति चमार हि. 1/2 निवासी ग्राम शम्भूपुरा	562/2	3.415	0.056
योग:-		1	3.415	0.056

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 0006-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-कटकुही-9490

बैतूल, दिनांक 6 नवम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	कटकुही	19.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना के जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	ढीमू पिता जिगल जाति गोंड पता बैतूल	258	0.360	0.044
2	प्रहलाद, लड्डू, काशीराम, सुवा पिता रामचरण जाति गौली पता चिचोली	257/1/1	0.002	0.002
3	गोकुल पिता छोटेलाल जाति गौली पति केसिया शाहपुर	257/1/2 257/2	0.323 1.083	0.080 0.468
4	फुलराम पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/1	0.807	0.182
5	गोलन पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/2	0.807	0.165
6	कमलेश पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/3	0.807	0.140
7	गणेश पिता रिखीराम जाति गौली पता बैतूल	259/4	0.807	0.500
8	रामप्रसाद पिता फूलन जाति गौली पता कटकुही चिचोली	259/5/1/1	0.103	0.103

9	मुकेश पिता गोलन जाति गौली पता कटकुही	259/5/1/2	0.102	0.102
10	शिवप्रसाद पिता कमलेश जाति गौली पता कटकुही	259/5/2	0.202	0.202
11	इन्दल, मनक, फूलवती, सुग्गा, शिवरती, शांति पिता जुगरू, बुन्दा, समोती पिता भंगी, श्यामू पिता भंगी, जिल्लू, किसनलाल, गोमा पिता जोहरी जाति गोंड सा. देह	260	2.995	1.355
12	छन्नू पिता फगना, फागू, कारू पिता चैतू, मिल्लो पिता चैतू जाति गोंड पता चिचोली	261	0.262	0.100
		266/3	3.643	3.643
13	ढीमू पुत्र जिगल जाति गोंड पता बैतूल	264/1	0.200	0.200
14	श्रीराम पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/2	0.407	0.407
		270/1	1.279	0.020
15	साहबलाल पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/3	0.406	0.350
16	झब्बू पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/4	0.406	0.406
		277	0.425	0.425
17	चुडोल पिता ढीमू जाति गोंड पता बैतूल	264/5	0.406	0.406
		270/4	1.279	0.170
18	फल्लो पिता मेंहगू जाति गोंड पता बैतूल	266/1	1.190	1.190
19	मालती पत्नी हिरदे जाति गोंड पता बैतूल	266/2	0.412	0.412
20	सावित्री पुत्री सूरजसिंग, कालूराम पुत्र जुगराम जाति गोंड पता चिचोली	266/4	6.592	1.720
		275	3.533	1.650
21	ओझा, भूता, चैतराम, चैतू, मुन्ना, रमतू पिता जोल्ला, शान्ती बेवा जोल्ला, चैतो पिता जोल्ला जाति गोंड पता बैतूल	271	2.068	0.120
22	महेश, अलकेश पुत्र राजू जाति गौली पता कटकुही	273/4	2.072	0.070
23	बद्री पुत्र छोटेलाल जाति गौली पता कटकुही	284/6	0.213	0.213
24	संतराम पिता छोटेलाल जाति गौली पता चिचोली	284/3	1.000	0.280
		284/4	0.213	0.213
25	नथया, संतलाल, बद्री पुत्र छोटेलाल जाति गौली पता कटकुही	284/7	0.550	0.550
26	मस्तराम, अमरलाल, बिजना पिता कोवा, मुन्नी, शान्ती पिता कोवा, फुलना बेवा कोवा जाति गोंड पता बैतूल	286/1/2	1.000	0.370
		286/1/4	1.208	0.385
27	शेरसिंग, मोहन पिता मंजा, रजना, रामवती, कमला पिता मंजा, झनकी बेवा मंजा जाति गोंड पता बैतूल	286/1/3	1.000	0.405
		286/1/6	1.209	1.209
28	दीपचंद व. सवई जाति गौली पता चिचोली	253/17/3	0.072	0.055
29	संतोष व. दीपचंद जाति गौली पता चिचोली	253/17/2	0.180	0.020
30	गणेश व. सुखचंद जाति गौली पता चिचोली	253/16/2	0.324	0.050
31	नथया व. छोटेलाल जाति गौली पता कटकुही	284/5	0.213	0.213

32	जगदीश व. जुगराम जाति गोंड पता कटकही	286/1/5	1.209	0.040
33	काशीराम, लड़इ, प्रहलाद पिता रामचरण, सुवा पिता रामचरण जाति गौली पता कटकही	281	3.052	0.445
	योग:-	42	44.421	19.080

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँध निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0003-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-नहरपुर-9494

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	नहरपुर	8.661	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	शीतलझिरी मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	रतन पिता सोमजी जाति गोंड पता चिचोली	3/4	0.892	0.892
2	सुमरत पिता सोमजी जाति गोंड पता चिचोली	3/5	0.892	0.892
3	राकेश , चिक्कू पिता नानक, हसतंती पुत्री नानक , बस्तीराम नाबा. पिता नानक जाति गोंड पता चिचोली	3/6	0.891	0.891
4	सम्मो पिता उमराव जाति गोंड पता चिचोली	4	1.121	0.265
5	प्रेमलाल पिता भादू जाति गोंड पता चिचोली	5	1.554	0.215
		29/1	2.003	1.000
6	मोरध्वज, राधेश्याम पुत्र दुरग, गंगा पुत्री दूरग, शांता बेवा सरोप, रामदयाल, शिवदयाल पिता सरोप जाति गोंड पता चिचोली	6/4/1	0.345	0.008
		6/4/2	0.344	0.320
		6/5	0.705	0.705
7	कली , फुल्ला, शांति पिता सुखराम जाति गोंड पता चिचोली	6/4/3	0.017	0.017
8	कली पिता सुक्कन जाति गोंड पता नहरपुर	29/2	1.012	0.090
9	भोंदू पिता मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	274/1	0.804	0.280
		282/3	0.280	0.110
10	सम्मूलाल पिता मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	274/2	0.805	0.805
		282/4	0.280	0.160
11	सुक्को बेवा रोन्या , सोमलाल , रोमलाल, कलीराम, सुन्दर पिता रोन्या , सोमती, फुलकली , रामकली पुत्री रोन्या जाति गोंड पता नहरपुर चिचोली	275	2.416	0.250
12	मक्कड़ पुत्र जुगन जाति गोंड पता बैतूल	280	1.247	0.032
13	मंगल , कमल पिता जुगराम, कमलती पुत्री जुगराम, सरवंती , सेवंती, कलावती, रेवंती पुत्री जुगराम, कोका पिता नलकू , संतो , सुमरती पुत्री नलकू जाति गोंड पता चिचोली	282/1 324	6.194 0.099	0.270 0.040
14	दोंडू पुत्र मोइडी जाति गोंड पता बैतूल	282/2 274/3	0.280 0.807	0.055 0.044
15	मंशू पुत्र महाकुंभ जाति गोंड पता बैतूल	326	1.092	0.140
16	फागू पुत्र रंजन, भूते बेवा रंजन जाति गोंड पता बैतूल	330	1.485	0.440
17	हरिचन्द पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	331/1	0.910	0.620
18	हरिदास पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	331/2	0.911	0.070
19	केलाश पुत्र पंचम जाति गोंड पता बैतूल	332/2	0.911	0.050
	योग :-	26	28.297	8.661

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँध निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0005-अ-82-2025-26-भू-अर्जन-इमलीढाना-9495

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1**(प्रभावित कृषकों की सूची)**

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	चिचोली	इमलीढाना	3.052	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैतूल	शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना के जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2**(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	नाना पुत्र ओझी जाति गोंड पता चिचोली	2	3.834	0.810
2	सूरत, जिल्लू पुत्र गुड़दू , फूला, जल्लो पुत्री गुड़दू जाति गोंड पता बैतूल	3	3.834	0.262
3	जिल्लू पुत्र गुड़दू जाति गोंड पता बैतूल	5	1.258	0.120
4	किसन पिता नत्थू , बुधिया बेवा नत्थू दिलीप, दिलवन पिता चिरोंजी, देवकी, रमिया, फूलवती, फूलवंती, सुखवती पुत्री चिरोंजी, बबीता ना.बा. पिता चिरोंजी वली माँ बसंती पति चिरोंजी जाति गोंड पता बैतूल	8	2.468	0.160
5	रमेश पिता बिहारी , जुगनी बेवा बिहारी , प्यारे, सुडे पुत्र फुले , रूपसा, गब्बर, रम्मी बेवा सुरजा, कोलू पुत्र रूपसा जाति गोंड पता बैतूल	98	1.335	0.040

6	मनक, भजक, प्रेमलाल पुत्र मौजी, बलमती, प्रेसती पुत्री मौजी, शांता बेवा मौजी, गंगाजी पुत्र जग्गा जाति गोंड पता बैतूल	102	0.506	0.054
7	प्रेमलाल, नब्बू पिता जगदू जाति गोंड पता बैतूल	105	1.761	0.098
8	फुल्लो बेवा श्यामलाल, नन्दकिशोर, शिवकिशोर, मुन्नालाल, रामप्रसाद पिता श्यामलाल, इन्द्रा पुत्री श्यामलाल, दुरगकसा, मनोहरी पिता लोटन, बेदा बेवा भूरा, फल्लो पिता भूरा, अनोपी सरोपी पुत्री भूरा जाति गोंड पता बैतूल	112	1.862	0.028
9	सरोपी पत्नी रिंगू जाति गोड पता बैतूल	114	3.590	0.325
10	रामन, सोहमत, रमेश, बसन पिता सोमा, फूलवंती, फुलबी पुत्री सोमा, जमदू पिता खेड़ा, मनकी, झिंगो पुत्री खेड़ा, ढीमू पिता कालू, संतो पुत्री कालू जाति गोंड पता बैतूल	115	0.733	0.262
11	प्रीतम पुत्र श्रीराम जाति कुन्बी पता बैतूल	122	1.827	0.610
12	रमजी व. नत्थू, बुधिया बेवा नत्थू जाति गोंड	9	0.507	0.283
	योग :-	12	23.515	3.052

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि शीतलझिरी मध्यम उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँध निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की गई है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-4047-रीडर-1-2025

बड़वाह, दिनांक 12 नवम्बर 2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

क्रमांक- 142 - /B-121/2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गोराड़िया, प.ह.नं.-74, रा.नि.मं.-बेड़िया, तहसील -सनावद, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्पादन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम —गोराड़िया, प.ह.नं.—74,	7/7	0.205
			7/6	0.250
			12/3	0.176
			10	0.090
			9/6	0.045
खरगोन	सनावद	—	9/5	0.045
			9/4	0.050
			9/3	0.055
			9/2	0.053
			9/1	0.110
			8/2	0.165
			8/3	0.340
			17/1	0.125
			4/3	0.130
कुल योग			14	1.839

सत्यनारायण दर्पो, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).